महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता
संख्या 96B.S. /09–XIX-2/05 खाद्य/2009

प्रेषक,

राजीव चन्द्र
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(1) आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

(2) जिलाधिकारी,
ऊधमसिंह नगर/हरिद्वार/पौड़ी/
देहरादून/नैनीताल/चम्पावत।

(3) सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,
कुमायूँ/गढ़वाल सम्भाग,
हल्द्वानी/देहरादून ।

(4) निदेशक
मण्डी परिषद,
उत्तराखण्ड, रूद्रपुर।

(5) अपर निबन्धक,
उत्तराखण्ड सहकारी विपणन संघ,
देहरादून ।

(6) वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक,
भारतीय खाद्य निगम,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2** दिनाँक : देहरादून : 05 मई, 2009

**विषय :– रबी विपणन सत्र 2009–2010 में विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गेहूँ की खरीद।**

महोदय,

आप अवगत हैं, कि, शासनादेश संख्या 251/09–XIX-2/05 खाद्य/2009 दिनांक 06.04.2009 द्वारा रबी विपणन सत्र 2009–2010 में विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गेहूँ की खरीद के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं।

रबी विपणन सत्र 2009–2010 दिनांक 01.04.2009 से प्रारम्भ हो चुका है, लेकिन गेहूँ खरीद हेतु नामित एजेन्सी नेफैड द्वारा अब तक की गई गेहूँ की खरीद नगण्य हैं। इस प्रकार उक्त एजेन्सी को गेहूँ खरीद हेतु दिया गया लक्ष्य 20 हजार मी0टन की पूर्ति न होने की सम्भावना के दृष्टिगत शासन स्तर पर विचारोपरान्त निर्णय के अनुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान रबी खरीद सत्र 2009–2010 में नेफैड को गेहूँ क्रय हेतु दिये गये लक्ष्य को निम्न प्रकार विभाजित कर संशोधित किया जाता है:–

| क्र0सं0 | क्रय एजेन्सी का नाम | लक्ष्य मी0टन में |
|---|---|---|
| 1 | खाद्य विभाग (विपणन शाखा) | 20,000 |
| 2 | भारतीय खाद्य निगम | 40,000 |
| 3 | उत्तराखण्ड सहकारी विपणन संघ | 50,000 |
| | योग | **1,10,000** |

उपर्युक्तानुसार शासनादेश 251/09–XIX-2/05 खाद्य/2009 दिनांक 06.04.2009 के प्रस्तर–4 को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है। उक्त शासनादेश की अन्य सभी शर्ते एवं प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है, कि, शासनादेश सं0 56बीएस/09–XIX-2/05 खाद्य/2008 दिनांक 12.03.2009 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा यह स्पष्ट निर्देश जारी किये गये हैं कि रबी खरीद वर्ष 2009–2010 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत केवल जोत बही के आधार पर ही उत्तराखण्ड के कृषकों की उपज का गेहूँ राज्य सरकार की क्रय एजेन्सी द्वारा

स्थापित क्रय केन्द्रों पर खरीदा जायेगा। इस प्रकार उपर्युक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कड़ाई के साथ सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपर्युक्त।

भवदीय,

(राजीव चन्द)
सचिव।

संख्या– 1685(1)/09–XIX-2/05 खाद्य/2009, तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, कृषि/सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल
5. संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. निजी सचिव, मा0 खाद्य मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी समिति परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. जिला प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, देहरादून एवं हल्द्वानी।
12. निबन्धक, सहकारी विपणन संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी (खाद्य), कुमायूँ एवं गढ़वाल सम्भाग।
14. सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. समस्त उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।